डिस्क्लेमर

इस दस्तावेज़ में सभी जानकारी दिनांक 5 जून 2021 तक हैं और वेबसाइट या इसके प्रासंगिक स्रोतों मे से एकत्र की गई हैं। यह समय के साथ बदल सकता है या भिन्न हो सकता है। यह केवल आपके मार्गदर्शन के लिए है। आगे बढ़ने से पहले जांचें।

- <u>आरटीई के बारे में</u>

2012 में पेश किया गया शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति देता है।

सभी छात्रों को, डिस्एबलीटी के बावजूद, मुख्यधारा के स्कूलों में शिक्षित किया जाना चाहिए। डिस्एबलीटी अधिनियम 1995 द्वारा परिभाषित डिस्एबलीटी मे पीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 26 के तहत दृष्टिबाधित, कम दृष्टि, **हियरींग लोस**, कुष्ठ रोग से ठीक, लोको-मोटर अक्षमता, मानसिक मंदता, मानसिक बीमारी, आत्मकेंद्रित, मस्तिष्क पक्षाघात और बहु-विकलांगता जिनको है वे 18 वर्ष की आयु तक नियमित विद्यालयी वातावरण में अध्ययन करने का अधिकार रखते है। "बच्चों के लिए आरटीई नियम प्रारंभिक शिक्षा या आठवीं कक्षा या 14 वर्ष की आयु तक है, लेकिन **बच्चे जिनको डिस्एबलीटी है उनके लिए** 18 **वर्ष की आयु तक है**,"।

- <u>आरक्षण मापदंड</u>

आरटीई छात्रों के लिए 25% आरक्षण

• डिसएडवानटेज गुर्प मे (बच्चे जिनको हियरींग लोस है वे भी) 19% सीटें मे शामिल है और कमजोर (गरीब) वर्ग के लिए 6% हैं।

• 19% आरक्षण में से, 3% आरक्षण पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 की धारा 2(i) के तहत सात उपश्रेणियों (यानी लोकोमोटर विकलांगता, अंधापन, दृष्टि दोष, **हियरींग लोस**, आटीसम, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता) में से प्रत्येक के लिए है। निजी गैर-सहायता प्राप्त और गैर-अल्पसंख्यक स्कूल में डिस्एबल्डलीटी आरटीई अधिनियम के तहत आती है।

• प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्कूल को ट्यूशन फीस दी जाती है।

- <u>आरटीई प्रवेश पात्रता मापदंड 2021-22</u>

आरटीई प्रवेश (शिक्षा का अधिकार) के लिए पात्रता मापदंड इस प्रकार है:

बेंचमार्क डिस्एबलीटी वाले छात्रों के लिए आयु पात्रता 6 वर्ष से 18 वर्ष के बीच है।

जनरल नियम के अनुसार नर्सरी, केजी और कक्षा 1 में प्रवेश के लिए 31 मार्च तक ऊपरी आयु सीमा क्रमशः 5, 6 और 7 वर्ष है। इन कक्षाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 31 मार्च तक क्रमश: 3, 4 और 5 वर्ष है। डिसेबल्ड बच्चौ के लिए के एक वर्ष की छूट दी जाती है। तीनों प्रवेश स्तर की कक्षाओं में आवेदन करने की ऊपरी आयु सीमा 31 मार्च तक 8 वर्ष है।

- आवेदन करने के लिए छात्र को भारत का मूल निवासी होना चाहिए।
- राज्य-विशिष्ट आवेदन के मामले में, छात्र को उस राज्य का निवासी होना चाहिए।

- **आरटीई प्रवेश तिथि**

आवेदन करने के इच्छुक छात्र के लिए आवेदन की तारीख पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही सभी राज्यों के लिए आरटीई प्रवेश की अंतिम तिथि मार्च से मई के बीच या राज्य सरकार द्वारा घोषित की जा सकती है।

- **आवश्यक दस्तावेज़**

• पते का सबूत

• बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र

• आधार कार्ड

• पासपोर्ट साइज़ के रंगीन फोटो

•जाति प्रमाण पत्र

• यूडीआईडी कार्ड

- **आरटीई प्रवेश के तहत लाभ**

• इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए माता-पिता को स्कूल या किसी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है।

• ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से बहुत समय और पैसे की बचत होती है और प्रणाली में पारदर्शिता भी होती है।

• इस योजना मे आरटीई पोर्टल के तहत उल्लिखित प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में नर्सरी से आठवीं कक्षा तक के डिस्एबल्ड बच्चों के लिए 3% सीटें आरक्षित हैं।

• इस योजना से साक्षरता और रोजगार दर में वृद्धि होगी ।

• इस योजना से हर बच्चे को शिक्षा का मूल अधिकार मिलेगा ।

क्रमांक	राज्य	आरटीई पोर्टल
1.	महाराष्ट्र	https://student.maharashtra.gov.in या https://rte25admission.maharashtra.gov.in
2.	गुजरात	https://rte.orpgujarat.com
3.	कर्नाटक	www.schooleducation.kar.nic.in
4.	राजस्थान	www.rajpsp.mic.in या www.rte.raj.nic.in

Source: www.rte25admission.maharashtra.gov.in and other state’s portals.

- <u>**आरटीई के तहत प्रवेश के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया**</u>

1. कृपया आवेदन करने से पहले सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

2. ऑनलाइन फॉर्म अपने संबंधित राज्य आरटीई पोर्टल वेबसाइट पर भरना है ।

3. * - यह चिन्ह का मतलब है की क्षेत्र अनिवार्य हैं। यहाँ जानकारी भरनी जरूरी है।

4. फॉर्म में विवरण सावधानीपूर्वक भरना चाहिए और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

5. आरटीई पोर्टल पर “ऑनलाइन आवेदन” टैब पर क्लिक करें।

6. पहली बार आवेदन के लिए "नया पंजीकरण" टैब पर क्लिक करें और बच्चे के आवश्यक विवरण दर्ज करें।

7. आपके द्वारा दिए गए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वे उपयोगकर्ता नाम (यूजरनेम) और पासवर्ड भेजेंगे ।

8. उस यूजरनेम और पासवर्ड का उपयोग करके आरटीई पोर्टल पर जाएं। आप चाहे तो पासवर्ड बदल सकते हैं । यदि आप पासवर्ड बदलना चाहे तो आपको यहां पासवर्ड बदलने का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा और उस पर से आप नया पासवर्ड दर्ज कर सकते हैं।

9. पासवर्ड बदलने के बाद फिर से आरटीई पोर्टल पर एंटर करें।

10. पहला टैब (यानी जहाँ बच्चा लिखा हो) में बच्चे की सभी आवश्यक विवरण दर्ज करें।

11. दूसरे टैब (यानी आवेदन) में बच्चे और माता-पिता का आवश्यक विवरण भरें।

12. तीसरे टैब में (अर्थात विद्यालय चयन) में से विद्यालय का चयन करें । इसमें विद्यालय की सूची दी गई है ।स्कूल के चयन के बाद अपने विवरण की पुष्टि करें और पुष्टि बटन (कन्फर्म बटन) दबाएं।

13. फॉर्म की पुष्टि की सूचना फॉर्म में उल्लिखित मोबाइल नंबर/ईमेल पते पर एसएमएस/ईमेल के माध्यम से भेजा जाएगा।

14. सीट आवंटन (एलोकेशन) की सूचना माता-पिता का मोबाइल नं. पर एसएमएस के माध्यम से भी भेजी जाएगी। वेबसाइट पर उल्लिखित समय अवधि के भीतर एडमिट कार्ड प्रिंट करना होगा। मूल दस्तावेजों के साथ आवंटित (एलोकेटड) स्कूल मे माता-पिता को संपर्क करना होगा और वेबसाइट पर उल्लिखित समयावधि के भीतर प्रवेश लेना होगा ।

15. यदि आप उल्लिखित समय अवधि के भीतर स्कूल मे प्रवेश नही लेते हैं और स्कूल नहीं जाते हैं तो इस स्थिति मे आपके बच्चे का फॉर्म रद्द किया जाएगा ।

16. यदि यह पाया जाता है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेज उचित नहीं हैं तो सीट आवंटन(एलोकेशन) को अमान्य माना जाएगा और साथ ही नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

YOUR SUPPORT!

At VConnect we really want to make a difference to the lives of thousands of children with hearing loss in and around India in our endeavor to successfully mainstream them at all levels.

All donations to VConnect Foundation are 50% exempt from tax under section 80G of the Income Tax Act.

Cheques & Demand Drafts to be made in the name of 'VConnect Foundation' Direct online fund transfers details are as under:

A/c: VConnect Foundation
Savings Account
Account Number: 3014605126
Bank details: Central Bank of India, Colaba Causeway Branch, Mumbai 400005
IFSC CODE: CBIN0281407

For foreign donations (FCRA Account):

A/c: VConnect Foundation
Savings Account
Account Number: 40274065525
Bank details: State Bank of India, FCRA Cell, 4th Floor, New Delhi Main Branch, 11 Sansad Marg, New Delhi 110001
IFSC CODE: SBIN0000691
SWIFT: SBININBB104

Trust & Contact Details

Name of the Trust: VConnect Foundation
Legal Status: Charitable Trust
VConnect Foundation is a registered not-for-profit company under section 25 of the Indian Companies Act (1956) and has tax exempt status in India under section 80(G) of the Income Tax Act (1961).
Registered Office: C-216, Bunyaan, Seth Moti Shah X Lane, Byculla (E), Mumbai 400 027, India
Correspondence: R-7, Cusrow Baug, Shahid Bhagat Singh Road, Mumbai 400001
Contact No: +91 9820409019
Email Id: contact@vconnectfoundation.org
Website: www.vconnectfoundation.org
Facebook: https://www.facebook.com/VConnectfoundation/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/vconnectfoundation/
Instagram: http://www.instagram.com/vconnectfoundation/
YouTube: https://youtube.com/vconnectfoundation
Twitter: https://twitter.com/VConnect